संख्या– 756 / VI-2 / 2010–2(23)2009

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 12 अगस्त, 2010

विषयः– **सामाजिक संस्था जौनसार बावर क्षेत्र विकास समिति, लाखामण्डल, चकराता, जनपद देहरादून द्वारा आयोजित जनजातीय परम्परागत सांस्कृतिक विरासत पर आधारित पर्वतीय सांस्कृतिक बिस्सू महोत्सव, 2010 के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–259 / सं0नि0उ0 / तृतीय–76 / 2010–11 दिनांक 19 मई, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सामाजिक संस्था जौनसार बावर क्षेत्र विकास समिति, लाखामण्डल, चकराता, जनपद देहरादून द्वारा आयोजित जनजातीय परम्परागत सांस्कृतिक विरासत पर आधारित पर्वतीय सांस्कृतिक बिस्सू महोत्सव, 2010 के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख में से रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) की धनराशि निम्नानुसार व्यय किये जाने पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

2– उक्त धनराशि शासनादेश संख्या–105 / VI-I / 2007–4(4) / 2007 दि0 5–3–2008 के द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने पर ही आहरित की जायेगी।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने से पूर्व शासन / सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड–5) भाग–1 के अध्याय 16–क–अनुच्छेद 369 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि तभी प्रदान की जाये जब सम्बन्धित द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन का शपथ पत्र प्रदान किया जाये।

5– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

6– इस संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यो/प्रोजेक्ट की हार्ड व साफ्ट प्रतियॉ जैसा लागू है, में पांच प्रतियों में संस्कृति विभाग को अभिलेखों के रूप में उपलब्ध करायेंगे।

7– उक्त धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर मदवार व्यय शासन को उपरोक्त साक्ष्य के साथ आवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

8– संस्था को उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि संस्था इसी कार्यकम के लिए उत्तराखण्ड शासन के किसी अन्य विभाग/भारत सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करेगी।

9– निदेशक इस आदेश के एक सप्ताह के अन्दर संस्था को धनराशि आवंटित करेंगे। इस हेतु एक समिति गठित की जायेगी।

10– उक्त आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में शीघ्रताशीघ्र निर्णय लेते हुए तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुदान संख्या–31 लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–02–जनजातीय कला एवं संस्कृति का अभिलेखन संरक्षण तथा उन्नयन हेतु योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

12– उपरोक्त निर्देश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या–181(पी)/XXXVII(3)/2010 दिनांक 27, जुलाई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

756/VI-2/10 दि० 12/8/10

संख्या एवं दिनांक– तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– सम्बन्धित संस्था।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।